राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
अम्बेडकर भवन जी. 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ.7(2)(01234)साछा/सान्याअवि/23/1071 जयपुर, दिनांक 14.09.2023

आदेश

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में विभागीय आदेश क्रमांक 985 दिनांक 29.08.2023 द्वारा छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 15.09.2023 नियत की गई थी। वर्तमान में कुछ जिलों में छात्र स्वीकृत क्षमता से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। अतः ऐसे जिले जिनमें छात्र स्वीकृत क्षमता के अनुरूप कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु अपने जिलें में सचांलित विभागीय छात्रावासों में पदस्थापित छात्रावास अधीक्षको को स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यो से सम्पर्क स्थापित कर शतप्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करावें।

अतः विभागीय छात्रावासों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.09.2023 बढाते हुए प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की मैरिट "पहले आओं पहले पाओं" के आधार पर जारी किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(प्रहलाद सहाय नागा)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

क्रमांक एफ.7(2)(01234)साछा/सान्याअवि/23/1072-78 जयपुर, दिनांक 14.09.2023

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, ...।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.............................को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कर छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
5. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें एवं छात्रावास प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करावें साथ ही तकनीकी टीम को एसजेएमएस हॉस्टल टैक्नीकल इस्यू डिविजनल ग्रुप्स एवं मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु पाबन्द करना सुनिश्चित करावें।
6. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आदेश का सामान्य प्रचार–प्रसार कराने की व्यवस्था करावें।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

Signature valid
Digitally signed by Prahlad Shai Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.09.14 19:40:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 4714103